

आपदा प्रबंधन संस्थान

जिले स्तर पर आपदा प्रबंधन व्यवस्था की वस्तुस्थिति वर्ष 2016-17

निम्नलिखित बिन्दुओं पर हाँ/नहीं में उत्तर दिया जा सकता है यदि हाँ/नहीं में उत्तर संभव नहीं है तब उस स्थिति में कृपया निम्न में से एक/अधिक में उत्तर दिया जा सकता है:-

- (1) यदि नहीं तो यह कार्य कितने समय अवधि में पूर्ण कर लिया जावेगा।
- (2) यदि इस कार्य में पूर्ण करने में समस्या आ रही है तो कृपया इसे उल्लेखित करें।
- (3) इस कार्य से संबंधित कोई अनुशंसा या सुझाव हो तो कृपया उल्लेखित करें।

क्र	प्रभावी तैयारी हेतु अपेक्षित कार्य	हाँ/नहीं	
1	2	3	4
1.	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत		
1.1	क्या आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25 (4) के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अपर कलेक्टर या समकक्ष अधिकारी को प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है, ताकि वे प्राधिकरण द्वारा हस्तांतरित अधिकारों एवं कर्तव्यों के अंतर्गत प्राधिकरण का कार्य सुनिश्चित कर पाये ?		

	<p>The State Government shall appoint an officer not below the rank of Additional Collector or Additional District Magistrate or Additional Deputy Commissioner, as the case may be, of the district to be the Chief Executive Officer of the District Authority to exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the State Government and such other powers and functions as may be delegated to him by the District Authority</p>		
1.2	<p>क्या जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 31 के अंतर्गत जिले का आपदा प्रबंधन प्लान तैयार कर लिया गया है ?</p> <p>There shall be a plan for disaster management for every district of the State. The District Plan shall be prepared by the District Authority, after consultation with the local authorities and having regard to the National Plan and the State Plan, to be approved by the State Authority.</p>		
1.2.1	<p>क्या यह योजना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी जिला आपदा प्रबंधन योजना फ्रेमवर्क 2014 पर आधारित है ?</p>		
1.3	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 28 के अंतर्गत प्राधिकरण, द्वारा जब भी वह आवश्यक समझे अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए <u>एक या अधिक सलाहकार समितियों</u> या अन्य समितियों के गठन करने का प्रावधान है। क्या आपके जिले में ऐसी समितियों का गठन किया गया है अथवा भविष्य में गठन करने की योजना है ?</p> <p>The District Authority may, as and when it considers necessary, constitute one or more advisory committees and other committees for the efficient discharge of its functions.</p>		

<p>1.4</p>	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (1) के अनुसार जिला प्राधिकरण राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों को जिला स्तर पर लागु करने हेतु कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा। क्या आपके जिले में राष्ट्रीय तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आपदा प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है ?</p> <p>The District Authority shall act as the district planning, coordinating and implementing body for disaster management and take all measures for the purposes of disaster management in the district in accordance with the guidelines laid down by the National Authority and the State Authority.</p>		
<p>1.5</p>	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (iii) के अनुसार क्या जिले में आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है? यदि हाँ तो कौन से क्षेत्र किन खतरों के प्रति संवेदनशील है।</p> <p>Ensure that the areas in the district vulnerable to disasters are identified and measures for the prevention of disasters and the mitigation of its effects are undertaken by the departments of the Government at the district level as well as by the local authorities;</p>		

<p>1.6</p>	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (iv) के अनुसार क्या जिला स्तर पर सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदाओं के निवारण, उनके प्रभावों के शमन, तैयारी के और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित मोचन के उपायों का अनुसरण किया जाता है?</p> <p>Ensure that the guidelines for prevention of disasters, mitigation of its effects, preparedness and response measures as laid down by the National Authority and the State Authority are followed by all departments of the Government at the district level and the local authorities in the district;</p>		
<p>1.7</p>	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (v) के अनुसार क्या आपदाओं के निवारण और उनके प्रभावों शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए हैं?</p> <p>Give directions to different authorities at the district level and local authorities to take such other measures for the prevention or mitigation of disasters as may be necessary;</p>		

1.8	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (vi) के अनुसार क्या जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित किया गया है?</p> <p>Lay down guidelines for prevention of disaster management plans by the department of the Government at the districts level and local authorities in the district.</p>		
1.9	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (vii) के अनुसार जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनिटर कर सकेगा</p> <p>Monitor the implementation of disaster management plans prepared by the Departments of the Government at the district level;</p>		
1.10	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (viii) के अनुसार क्या जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित किया गया है और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जाती है?</p> <p>Lay down guidelines to be followed by the Departments of the Government at the district level for purposes of integration of measures for prevention of disasters and mitigation in their development plans and projects and provide necessary technical assistance therefor.</p>		

<p>1.11</p>	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (x) के अनुसार क्या जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं का पुनर्विलोकन किया गया है? और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निर्देश दिये गये हैं, जो आवश्यक हों?</p> <p>Review the state of capabilities for responding to any disaster or threatening disaster situation in the district and give directions to the relevant departments or authorities at the district level for their up gradation as may be necessary.</p>		
<p>1.12</p>	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (xii) के अनुसार क्या जिले में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया गया?</p> <p>Organise and coordinate specialised training programmes for different levels of officers, employees and voluntary rescue workers in the district.</p>		

1.13	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (xiii) के अनुसार क्या आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित किया गया है?</p> <p>Facilitate community training and awareness programmes for prevention of disaster or mitigation with the support of local authorities, governmental and non-governmental organizations.</p>		
1.14	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (xiv) के अनुसार क्या जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना की गयी है?</p> <p>Set up, maintain, review and upgrade the mechanism for early warnings and dissemination of proper information to public;</p>		
1.15	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (xv) के अनुसार क्या जिला स्तर मोचन, योजना और मार्गदर्शक सिद्धांतों को बनाया गया है तथा उसका पुनर्विलोकन कर उन्नयन किया गया है?</p> <p>Prepare, review and update district level response plan and guidelines.</p>		
1.16	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (xvi) के अनुसार क्या किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वय किया गया है?</p> <p>Coordinate response to any threatening disaster situation or disaster.</p>		

1.17	<p>आंपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (xvii) के अनुसार क्या जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जिला आपदा प्रबंधन योजना के अनुसरण में अपनी विभागीय योजना तैयार की गयी है?</p> <p>Ensure that the Departments of the Government at the district level and the local authorities prepare their response plans in accordance with the district response plan.</p>		
1.18	<p>आंपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (xxi) के अनुसार क्या जिले में स्थानीय प्राधिकारियों को उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गयी है या उन्हें सलाह दी गयी है,</p> <p>Provide necessary technical assistance or give advise to the local authorities in the district for carrying out their functions;</p>		
1.19	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (xxii) के अनुसार क्या जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उनका शमन करने के लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में आवश्यक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्विलोकन किया गया है?</p> <p>Review development plans prepared by the Departments of the Government at the district level, statutory authorities or local authorities with a view to make necessary provisions therein for prevention of disaster or mitigation.</p>		

1.20	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (xxiii) के अनुसार क्या जिले के किसी क्षेत्र में सन्निर्माण की जांच की जाती है और यदि उसकी आपदा निवारण या उसके शमन के लिए ऐसे सन्निर्माणों के लिए अधिकथित मानकों का पालन नहीं किया जाता है तो क्या संबद्ध प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए जो ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, उनका निर्देश दिया जाता है?</p> <p>Examine the construction in any area in the district and, if it is of the opinion that the standards for the prevention of disaster or mitigation laid down for such construction is not being or has not been followed, may direct the concerned authority to take such action as may be necessary to secure compliance of such standards.</p>		-
1.21	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (xxiv) के अनुसार क्या ऐसे भवनों और स्थानों की पहचान की गयी है जिनका किसी आपदा की आशंका या आपदा की घटना की स्थिति में राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और ऐसे भवनों और स्थानों में जल प्रदाय तथा स्वच्छता की व्यवस्था की जा सकती है?</p> <p>Identify buildings and places which could, in the event of any threatening disaster situation or disaster, be used as relief centers or camps and make arrangements for water supply and sanitation in such buildings or places.</p>		
1.22	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (xxv) के अनुसार क्या आपदा से पहले ही राहत संचय और बचाव सामग्री की व्यवस्था संभावित क्षेत्र के लिए की गयी है या किसी अल्प सूचना पर ऐसी सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी को सुनिश्चित किया गया है?</p>		

	Establish stockpiles of relief and rescue materials or ensure preparedness to make such materials available at a short notice.		
1.23	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (xxvi) के अनुसार क्या आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में राज्य प्राधिकरण को सूचना दी जाती है?</p> <p>Provide information to the State Authority relating to different aspects of disaster management.</p>		
1.24	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (xxvii) के अनुसार क्या जिले में प्रारंभिक स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया गया है?</p> <p>Encourage the involvement of non-governmental organisations and voluntary social-welfare institutions working at the grassroots level in the district for disaster management.</p>		
1.25	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (xxviii) के अनुसार क्या यह पहले से ही सुनिश्चित किया गया है कि आपदा की स्थिति में संचार प्रणालियां की व्यवस्था क्या होगी तथा आपदा प्रबंधन ड्रिल समय-समय पर की जा रही है?</p> <p>Ensure communication systems are in order, and disaster management drills are carried out periodically;</p>		

1.26	<p>क्या आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 41 के अंतर्गत जिला प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों (पंचायती राज संस्थाएं, नगरपालिकाएं, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर योजना प्राधिकारी इत्यादि) को आपदा प्रबंधन पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ?</p>		
1.27	<p>क्या प्राधिकरण द्वारा जिले में आयोजित होने वाले सभी प्रकार के मेलों या ऐसे अन्य आयोजनों के दौरान भगदड़ आदि दुर्घटनों के रोकथाम एवं प्रभावी प्रतिवादन हेतु आपदा प्रबंधन एक्शन प्लान बनाया गया है ?</p>		
1.28	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 39, 40 के परिपेक्ष्य में जिला स्तरीय विभागों ने अपने-अपने राज्य स्तरीय मुख्यालय से किस प्रकार का संवाद किया गया है?</p> <p>Every department of the State Government, in conformity with the guidelines laid down by the State Authority, shall prepare a disaster management plan</p>		
1.29	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 41 (1) (b) के परिपेक्ष्य में क्या जिले में उपलब्ध संसाधनों की सूची तैयार की गई है या नहीं? यदि की गयी तो कलेक्टर या आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष को सौंपी गयी है?</p> <p>Ensure that resources relating to disaster management are so maintained as to be readily available for use in the event of any threatening disaster situation or disaster</p>		

1.30	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 41 (1) (a) के अंतर्गत क्या आपके अधिकारी एवं कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित हैं?</p> <p>Ensure that its officers and employees are trained for disaster management.</p>		
1.31	<p>क्या जिले के अधिकारियों ने किसी संस्थान से आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है?</p>		
1.32	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (3) (d) के अंतर्गत क्या जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्वों का आबंटन हो चुका है? एवं क्या आवश्यक संसाधनों की प्राप्ति हो चुकी है?</p> <p>Allocation of responsibilities to the Departments of the Government at the district level and the local authorities in the district and procurement of essential resources.</p>		
1.33	<p>आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 34 की (k) के अंतर्गत क्या किसी अस्थायी पुलों या अन्य आवश्यक संरचनाओं को ध्वस्त किया गया है जो आपदा के प्रभाव को गंभीर बना सकती है?</p> <p>Construct temporary bridges or other necessary structures and demolish structures which may be hazardous to public or aggravate the effects of the disaster.</p>		

2	<p align="center">Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules 1989 and (2) Chemical Accidents (Emergency Planning, Preparedness and Response) Rules 1996 के अंतर्गत</p>		
2.1	<p>क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के (1) Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules 1989 and (2) Chemical Accidents (Emergency Planning, Preparedness and Response) Rules 1996 अंतर्गत निम्न बिन्दुओं पर प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की गई है ?:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) On-site Emergency Management Plan (as per Schedule 11) for Major Accident Hazard (MAH) units (ii) Off-site Emergency Management Plan (as per Schedule 12) (iii) Origination of Mock Drills and other activates. <p>(नोट: इस प्रश्न से संबंधित तथ्य रखने हेतु कृपया संचालनालय, औद्योगिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंधित अधिकारी को भी बैठक में वस्तुस्थिति सुनिश्चित करने हेतु आमंत्रित करें।)</p>		
2.2	<p>क्या जिला Crises प्रबंधन समिति का गठन Chemical Accident नियम 1996 के नियमानुसार किया गया है? यदि हाँ तो क्या समिति की बैठक नियमानुसार होती है?</p>		
3	<p>क्या रासायनों के परिवहन के दौरान होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण, बचाव एवं पूर्व तैयारी हेतु Central Motor Vehicle Rule 1989 के अनुसार पुलिस, आर.टी.ओ. एवं अन्य एजेन्सियों के बीच समन्वयन हेतु प्राधिकरण द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी किये गये है ?</p>		

4.	Emergency Response and Disaster Management Plan (ERDMP) regulation 2010 के अंतर्गत		
4.1	पेट्रोल पंप, bulk depots, LPG bottling plants आदि हेतु आपदा प्रबंधन प्लान विकसित किया जाना है एवं प्लान अनुसार निश्चित अंतराल पर मॉक ड्रील आदि का आयोजन किया जाना है। क्या प्राधिकरण द्वारा इस विषय पर संज्ञान लिया गया है ?		
5.	क्या Explosives Rules 2008 issued under: PESO, Ammonium Nitrate Rues 2012: PESO एवं अन्य संबंधित नियमों के अंतर्गत पेटलावाद, जिला झाबुआ जैसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्राधिकरण द्वारा संज्ञान लिया गया है एवं दिशा निर्देश जारी किये गये है ?		
6	अंतरराजीय विषय		
6.1	क्या कभी पूर्व में आपके पड़ोसी राज्य के जिले के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ चर्चा हुई?, यदि आप आवश्यक समझते हो तो भविष्य में चर्चा करना चाहेंगे? यदि हाँ तो उन मुद्दों का विश्लेषण दे?		

भाग -2

आपदा प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु सुझाव

क्र	सुझाव के बिन्द	प्राधिकरण का सुझाव
1	2	3
1.	<p><u>जिला आपदा प्रबंधन प्लान का मूल्यांकन एवं उसका प्रमाणीकरण :</u></p> <p>जिला आपदा प्रबंधन योजना के प्रमाणीकरण एवं मूल्यांकन की आवश्यकता, इसकी विधि एवं इस कार्य हेतु उपयुक्त संस्था/एजेन्सी (ऐसी संस्था जो National Accreditation Board for Certifying Body से मान्यता प्राप्त)के संबंध में अपना सुझाव दे।</p> <p>(प्रमाणीकरण का अर्थ : Certification is a formal procedure by which an accredited or authorized person or agency assess and verifies (and attests in writing by issuing a certificate) the attributes, characteristic, quality, qualification or status of individuals or organization, good, or services, procedures, or process, or events or situations, in accordance with established requirements or events or situations in accordance with established recruitments or standards.)</p>	
2.	<p><u>राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सुझावित आपदा प्रबंधन कार्यो को प्रभावशाली रूप से लागु करने हेतु सुझाव :</u></p> <p>राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सुझावित/निर्देशित कार्यावाहीयों को उचित एवं प्रभावशाली रूप से लागु करने हेतु संभाग स्तर से समन्वयन एवं निर्देशन देना उपयुक्त होगा। कृपया इस संबंध में अपना सुझाव दे।</p>	

3.	<p><u>जिला स्तरीय विभागों की आपदा प्रबंधन में जागरूकता:</u></p> <p>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिला स्तर के सभी विभागों द्वारा आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य अपेक्षित है। इस हेतु इन विभागों को जिला स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशाला के माध्यम से जागरूक करना आवश्यक होगा। यदि इस सुझाव से सहमत है तो, कृपया इन कार्यक्रमों हेतु उपयुक्त अवधि, स्थल एवं वित्तीय आवश्यकता के साथ प्रस्ताव 03 माह में आपदा प्रबंध संस्थान को देना चाहेगे।</p>	
4.	<p><u>जिले में स्थित संभावित खतरों, घटनाओं का चिन्हीकरण</u></p> <p>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार जिले में स्थित संभावित खतरों/घटनाओं का चिन्हीकरण किया जाना है ताकि इनसे संबंधित पूर्व तैयारी एवं शमन के कार्यों हेतु उचित कार्यवाही निश्चित समय अवधि में पूर्ण की जा सके। यह कार्य अगले 03 माह के दौरान पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। कृपया इस संबंध में अपना सुझाव दे।</p>	
5.	<p><u>आपदा प्रतिवादन पद्धति :</u></p> <p>होमगार्ड एवं सिविल डिफेन्स द्वारा आपदा प्रतिवादन व्यवस्था विकसित की जा रही है, जिसके फलस्वरूप किसी भी आपदा के दौरान उपयुक्त एवं आवश्यक संसाधन घटना स्थल पर निश्चित समय सीमा में उपलब्ध हो पायेगी तथा इसका मानिट्रिंग किया जा सकेगा। कृपया इस संबंध में सुझाव दे।</p>	
6.	<p><u>राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी इन्सीडेंट रिसपॉस सिस्टम :</u></p> <p>राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी इन्सीडेंट रिसपॉस सिस्टम मार्गदर्शिका के अनुसार सुझावित कार्यवाहियों को जिला स्तर पर लागू करने के संबंध में कृपया सुझाव दे।</p>	
7.	<p><u>त्रैमासिक समीक्षा बैठक :</u></p> <p>जिले में आपदा प्रबंधन से संबंधित की गई कार्यवाहियों की समीक्षा हेतु संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में त्रैमासिक समीक्षा बैठक करना उपयुक्त होगा। कृपया इस संबंध में सुझाव दे।</p>	